न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र मुरारी ब्राह्मण निवासी छावर तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत)

1/1 पुरुषोत्तम पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी छावर हाल निवासी तीन बड़ के पास, करौली

1/2 राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी छावर हाल निवासी लवानिया पैट्रोल पम्प के पास, मण्डरायल, तहसील मण्डरायल जिला करौली

1/3 राजूलाल पुत्र रामस्वरूप निवासी छावर हाल निवासी रामनगर कॉलोनी करौली

1/4 राजकुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी छावर हाल निवासी रामनगर कॉलोनी करौली

1/5 शिमला पुत्री रामस्वरूप पत्नि शिम्भुदयाल जाति ब्राह्मण छावर हाल निवासी हाल मुकाम तुलसीबाई की चाली, सलावद पाड़ा, बडोदरा, गुजरात

1/6 कमला पुत्री रामस्वरूप पत्नि विष्णु चंद शर्मा जाति ब्राह्मण छावर हाल निवासी हाल मुकाम तुलसीबाई की चाली, सलावद पाड़ा, बडोदरा, गुजरात

1/7 मीरा पुत्री रामस्वरूप पत्नि केदारलाल जाति ब्राह्मण निवासी छावर हाल निवासी कल्लापुरा, सरमथुरा के पास, तहसील सरमथुरा, जिला धौलपुर

1/8 मिथलेश पुत्री रामस्वरूप पत्नि राजूलाल जाति ब्राह्मण निवासी छावर हाल निवासी कृष्णा कॉलोनी, बयाना मोड, पुरानी मिर्च मण्डी, हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/9 मु. नर्वदा पत्नि स्व. रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी छावर, हाल निवासी रामनगर करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–02.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 178/2 रकबा 1–10 बीघा ग्राम छावर तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 178/2 रकबा 1–10 बीघा ग्राम छावर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2045–48 तक के खाता संख्या 156 किस्म बारानी–3 से श्री रामस्वरूप पुत्र मुरारी जाति ब्राह्मण निवासी छावर के नाम जरिये आवंटन नामांतरकरण संख्या 232 से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में श्री रामस्वरूप पुत्र मुरारी जाति ब्राह्मण निवासी छावर दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 178/2 रकबा 1–10 बीघा बाके ग्राम छावर को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2045–48, 2069–72, 2073–76, नामांतरकरण संख्या 232 / 12.02.87 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1/2 व 1/3 उपस्थित आये लेकिन बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा ना तो कोई जवाब पेश किया गया और ना ही बहस की गई। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 178/2 रकबा 1–10 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 232 द्वारा श्री रामस्वरूप पुत्र मुरारी जाति ब्राह्मण निवासी छावर के नाम जरिये आवंटन दर्ज की गई है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में रामस्वरूप पुत्र मुरारी जाति ब्राह्मण निवासी छावर के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम छावर की आराजी खसरा नंबर 178/2 रकबा 1–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली